उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-05/2022/107/92-2-22-31(जांच)/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 28 मार्च 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-सोनभद्र में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम बिसहार एवं ग्राम सेमिया में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच दिनांक 14.12.2020 में श्री जे0बी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र को निर्माण कार्य पर समुचित पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण न रखने तथा रू0 16,910.77 की शासकीय क्षति कारित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित करते हुये अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-05/2022/107(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रा0अ0विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-जी-70/पीए-मुख्य प्रा0प0/2855-164/04/2018-19 दि0 14.12.2020 **(प्रति संलग्न)** की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री जे0बी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- प्रस्तुतकर्ताअधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-सोनभद्र।

4- श्री जे0बी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-सोनभद्र सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0-फैजाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in